अनुसूची १४–फारम सं0–४६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १६४१ का नियम १२६)

आदेश पत्रक – ता0.....से.....तक

जिला....., सं0....., सन् १६.....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित ३

न्यायालय आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा

भूमि विवाद अपील वाद संख्याः–87/2012

भोला मंडल एवं अन्य – अपीलार्थीगण

वनाम

शंभू मंडल – रेस्पोण्डेन्ट

प्रस्तुत अपील वाद भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, उदाकिशुनगंज द्वारा भूमि विवाद वाद संख्याः 53/2011–12 में पारित आदेश दिनांकः 25.11.2011 के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा खिलाफ रेस्पोण्डेन्ट से दायर किया गया है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिक्ता बहस/लिखित बहस के माध्यम से यह कथन करते हैं कि प्रस्तुत अपील वाद में विवाद का विषय मौजाः–चौसा, थाना नं०–103, थाना एवं अंचल–चौसा, जिलाः–मधेपुरा के हाल रिविजनल सर्वे खाता संख्याः 347 के हाल रिविजनल सर्वे के खेसरा संख्याः 4548 रकवाः 0.06 डी० तथा हाल सर्वे खाता संख्याः 1644 के हाल रिविजनल सर्वे खेसरा संख्याः 4549 रकवा 0.08 डी० से संबंधित है। उक्त रिविजनल हाल सर्वे खेसरा 4548 एवं 4549 का निर्माण सावेक सर्वे खेसरा संख्याः 1867 के अंश से हुआ है जो सावेक सर्वे खाता संख्याः 428 की एराजी है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता आगे यह भी कथन करते हैं कि सावेक सर्वे खाता संख्याः 428 की भूमि पर छोटकन झा का पूर्ण स्वत्व, स्वामित्व वो शांतिपूर्वक दखल कब्जा चला आ रहा था तथा छोटकन झा उक्त सावेक खाता नं०–428 की भूमि की जबाबंदी होल्डर भी थे, जिन्होंने सावेक खेसरा संख्याः 1867 में 14 कट्ठा 13 धूर भूमि वजरिये निबंधित केवाला दस्तावेज संख्याः 365 वर्षः 1955 ई० में उचित जरसम्मन लेकर चौधरी मंडल वो महावीर मंडल पेसरान लाल मंडल के हाथ बिक्री कर दिये वो उक्त चौधरी मंडल एवं महावीर मंडल खरीदगत भूमि पर दखलकार हुए वो तब से ता अपनी जिन्दगी भूमि पर दखलकार होते आये वो जमाबंदी रसीद भी हासिल करते चले आये। चौधरी मंडल वो महावीर मंडल इस अपील के अपीलार्थी के पिता एवं दादा थे। चौधरी मंडल एवं महाबीर मंडल के मरणोपरांत अपीलार्थी विवादी भूमि के साथ–साथ अन्य जमीन पर शांतिपूर्वक दखलकार होते चले आ रहे हैं। विवादी भूमि अपीलार्थी के मकान मय सहन दरवाजा एवं सहन की भूमि है। वर्ष 1955 ई० के केवाला द्वारा अपीलार्थी के पूर्वज को विवादी भूमि

सविक खेसरा नं० 1867 के साथ–साथ अन्य खेसरा भी खरीद है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता आगे यह भी कथन करते हैं कि हाल सर्वे के क्रम में विवादी हाल खेसरा संख्याः 4548 रकवाः 06 डी० का खाता अपीलार्थी के पूर्वज चौधरी मंडल वो महावीर मंडल के नाम इन्द्राज हुआ जिसका हाल सर्वे खाता संख्याः 347 है, लेकिन सर्वे खतियान के मन्तव्य कॉलम में वसंत मंडल वगैरह का नाम शिकमी दखलकार के रूप में गलत इन्द्राज हो गया। इसी प्रकार हाल सर्वे खेसरा संख्याः 4549 के रकवाः 0.08 डी० का खाता गलत रूप से हरि नारायण मंडल पिता–मुंशी मंडल एक अंश वो सिंहेश्वर मंडल वो रामेश्वर मंडल वो धनेश्वर मंडल वो जागेश्वर मंडल पेसरान गौरी मंडल तथा माधो मंडल वो भुजंगी मंडल पेसरानः–हरदानी मंडल एक अंश के नाम इन्द्राज हो गया। जिसका खाता नं0: 1644 बना, जबकि खाता संख्याः 1644 के खाता होल्डर को विवादी खेसरा संख्याः 4549 से कोई भी ईलाका वो सरोकार नहीं है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता आगे यह भी कथन करते हैं कि शिकमी रैयत बहुत पूर्व में ही मौजा मजकूर को छोड़कर आलमनगर अंचल में बस गये वो जिस कारण विवादी भूमि पर से उनका शिकमी अधिकार समाप्त हो गया तथा विवादी भूमि अपीलार्थी के पूर्वज के पूर्ण अधिकार एवं स्वत्व वो दखल में आई। तदोपरांत अपीलार्थी के पूर्वज ने विवादी भूमि पर अपना आवासीय मकान वो दरवाजा बनवाया वो तब से उनके पूर्वज तथा पूर्वज के मरणोपरांत अपीलार्थी शांतिपूर्वक दखलकार होते चले आ रहे है वो उनके भोग तसरूफ है।

विज्ञ अधिवक्ता आगे यह भी कथन करते हैं कि वर्ष 2011 ई० में इस अपील के रेस्पोण्डेन्ट शंभू मंडल द्वारा विज्ञ भूमि सुधार उप–समाहर्ता, उदाकिशुनगंज के न्यायालय में विवादी भूमि के निश्वत अपीलार्थी के विरूद्ध भूमि विवाद वाद संख्याः 53/2011 दायर किया गया तथा दावा किया गया कि शिकमी रैयत वसंत मंडल उनके चाचा थे वो जिस कारण विवादी भूमि उनके स्वत्व, स्वामित्व एवं दखल कब्जा में है तथा अपीलार्थीगण उनके जमीन को अवैध रूप से दखल कर लिये हैं वो जिस कारण उन्हें विवादी भूमि पर दखल दिलाया जाय।

विज्ञ अधिवक्ता आगे यह भी कथन करते हैं कि अपीलार्थी जो निम्न न्यायालय में विपक्षी थे, विज्ञ भूमि सुधार उप–समाहर्ता, उदाकिशुनगंज के न्यायालय में उपस्थित हुए तथा अपनी ओर से जवाब एवं कागजी साक्ष्य दाखिल किया, फिर भी निम्न न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के कागजात एवं जवाब को नजर अंदाज कर अपना आदेश वर्त्तमान रेस्पोण्डेन्ट जो निम्न न्यायालय में आवेदक थे के पक्ष में बिना मौका जॉच किये ही पारित किया गया जो कि विधि विरूद्ध है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता आगे यह भी कथन करते हैं कि विवादी हाल खेसरा संख्याः 4548 का सर्वे में अंतिम प्रकाशन अपीलार्थी के पूर्वज के नाम से हुआ, लेकिन सर्वे के किसी स्तर पर रेस्पोण्डेन्ट की ओर से किसी प्रकार की आपत्ति नहीं दी गई। जो सिद्ध करता है कि अपीलार्थी विवादी जमीन पर अपने मकान मय सहन सहित दखलकार होते चले आ रहे हैं। निम्न न्यायालय में रेस्पोण्डेन्ट के द्वारा भूमि विवाद वाद डिफेक्ट ऑफ पार्टी था। क्योंकि हाल सर्वे खेसरा संख्याः 4549 का खाता अनेक रैयतों के नाम इन्द्राज था, जबकि रेस्पोण्डेन्ट द्वारा किसी भी खाता होल्डर को पक्षकार नहीं बनाया गया था, फिर भी निम्न न्यायालय द्वारा इसे नजर अंदाज करते हुए आदेश पारित किया गया जो कानून के नजरों में बिल्कुल ही गलत वो असंवैधानिक है। शिकमी रैयत बसंत मंडल उनके चाचा थे, बिल्कुल ही गलत

हैं क्योंकि बसंत मंडल रेस्पोण्डेन्ट के खानदान के नही थे ।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता आगे यह भी कथन करते हैं कि रेस्पोण्डेन्ट ंभू मंडल तीन भाई हैं यथा– शंभू मंडल, त्रिभुवन मंडल वो हीरा मंडल, जबकि शिर्फ शंभू मंडल के द्वारा ही भूमि विवाद वाद निम्न न्यायालय में दायर किया गया था। उनके अन्य दो भाईयों द्वारा विवादी भूमि पर आज तक किसी भी प्रकार का दखल या दावा नहीं किया गया है।

रेस्पोण्डेन्ट के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा यह कथन किया गया है कि विज्ञ भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, उदाकिशुनगंज के द्वारा यह सही आंकलन किया गया है कि रिभिजनल हाल सर्वे खाता संख्याः 16, खेसरा संख्याः 4548 रकवाः 0.6 डी० एवं रिभिजनल हाल सर्वे खाता संख्याः 1644, खेसरा संख्याः 4549 रकवाः 0.8 डी० भूमि पर रेस्पोण्डेन्ट का मकान मय सहन है जो कि मौजाः चौसा, टपुआ टोला, थानाः चौसा, जिलाः मधेपुरा अंतर्गत अवस्थित है।

रेस्पोण्डेन्ट के विज्ञ अधिवक्ता आगे यह भी कथन करते हैं कि वर्णित रिभिजनल हाल सर्वे खाता संख्याः 16, खेसरा संख्याः 4548 रकवाः 0.6 डी० से उनका शिकमी संबंध हैं एवं इस भूमि पर रेस्पोण्डेन्ट का मकान भी अवस्थित है साथ ही साथ रिभिजनल हाल सर्वे खाता खेसरा संख्याः 4549 रकवाः 0.8 डी० पर भी रेस्पोण्डेन्ट का मकान बना जो कि पिछले साठ सालों से वर्णित भूमि पर अवस्थित है।

रेस्पोण्डेन्ट के विज्ञ अधिवक्ता आगे यह भी कथन करते है कि रिविजनल सर्वे में रेस्पोण्डेन्ट के पिता एवं चाचा का नाम रैयती पंजी में दर्ज हुआ एवं प्रश्नगत भूमि अद्यतन रेस्पोण्डेन्ट के दखल में हैं।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना। अभिलेख पर रक्षित कागजात का अवलोकन किया एवं पाया कि निम्न न्यायालय द्वारा मामले का विस्तृत एवं सम्यक विवेचना करते हुए न्यायोचित आदेश पारित किया गया है। इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अस्तु अपील वाद अस्वीकृत। इसी के साथ वाद निस्तारित किया जाता है। लेखापित एवं संशोधित।

आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा

आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा